संख्या : 4/2026/317 /94-1-2026-312(101)/2016 टी०सी०

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 04 फरवरी, 2026**

विषय : उ०प्र० राज्य में उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों के डिजिटाइजेशन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य में उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों के डिजिटाइजेशन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-13/1156/94-1-2024-312(101)/2016 टी०सी० दिनांक 29.07.2024 द्वारा प्रथम चरण के डिजिटाइजेशन कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 01 वर्ष की समय सीमा विस्तारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी किन्तु जनपद एटा, वाराणसी, मुरादाबाद, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, सहारनपुर एवं प्रयागराज में डिजिटाइजेशन का कार्य परियोजना के इस विस्तारित 01 वर्ष की समयावधि में पूर्ण न होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त इन जनपदों के उप निबंधक कार्यालयों में अवशेष पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन पूर्ण किये जाने की समय-सीमा दिनांक 29.01.2026 से 06 माह तक के लिए विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- डिजिटाइजेशन के अवशेष कार्य को प्रथम चरण के डिजिटाइजेशन कार्य हेतु निर्धारित धनराशि के अन्तर्गत ही पूरा किया जायेगा। उप निबन्धक कार्यालयों में अवशेष पंजीकृत विलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन के कार्य में मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये।
- उप निबन्धक कार्यालयों में स्कैनिंग एवं इंडेक्सिंग का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाय। यदि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं होता है तो प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन के कार्य को गुणवत्ता पूर्ण तरीके से करते हुए प्रत्येक प्रविष्टि की शुद्धता सुनिश्चित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- प्रथम चरण के डिजिटाइजेशन कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1270/94-1-2022-312(101)/2016टी०सी० दिनांक 30.09.2022 एवं शासनादेश संख्या-13/ 1156/94-1-2024-312(101)/2016 टी०सी० दिनांक 29.07.2024 में उल्लिखित अन्य नियम, शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- पाक्षिक प्रगति की सूचना संलग्न प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1
6. सम्बन्धित, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)
7. सम्बन्धित अपर जिलधिकारी (वि०/रा०)/ जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)
8. सम्बन्धित उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश। (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)
9. सम्बन्धित उप निबंधक। (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रगति दिनांक--------से दिनांक--------तक

क्र०	जनपद	इस शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से इंडेक्स हेतु अवशेष विलेख	वर्तमान पक्ष में किये गये इन्डैक्सिंग के कार्य	अवशेष में से संचयी रूप से किये गए कुल इन्डैक्सिंग के कार्य	अवशेष इन्डैक्सिंग के कार्य (3-5)	इस शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से स्कैन हेतु अवशेष विलेख	वर्तमान पक्ष में किये गये स्कैनिंग के कार्य	अवशेष में से संचयी रूप से किये गए कुल स्कैनिंग के कार्य	अवशेष स्कैनिंग के कार्य (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।